



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

सुरक्षित भविष्य का आधार ईएसआईसी का आश्रितजन हितलाभ



रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में
आश्रितों को बीमित कामगार के औसत
दैनिक मजदूरी के अधिकतम 90% की दर से भुगतान

विशेषताएं

- विधवा को आजीवन या पुनर्विवाह होने तक लाभ
 - आश्रित पुत्र को 25 वर्ष की उम्र तक लाभ
 - आश्रित पुत्री को विवाह होने तक लाभ
 - अशक्त पत्र एवं पत्री को अशक्तता बने रहने तक लाभ

हितलाभ पाने की प्रक्रिया:

- ईएसआईसी शाखा कार्यालय में डिक्लोरेशन फॉर्म 15 एवं बैंक अकाउंट का विवरण दें
 - वर्ष में एक बार ईएसआईसी शाखा कार्यालय में लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें



आश्विरजन हितलाभ की अधिक जानकारी के लिए QR Code स्कैन करें